1

संख्या: 999 /79—5—2016—29 / 2009टी.सी.

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1— राज्य परियोजना निदेशक,
सर्व शिक्षा अभियान,
उ0प्र0 लखनऊ।

2— शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उ0प्र0 लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग—5 लखनऊ: दिनांक: 11 मई, 2016

विषय: निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा—12(1)(ग) के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा—एक / पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश दिया जाना।

महोदय,

उपयुक्त विषयक सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन को सम्बोधित शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक—शि0नि0बे0 / 1384 / 2015—16, दिनांक 12.4.2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित जनहित याचिका संख्या—3334 / 2015 अजय कुमार पटेल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.03.2016 के अनुपालन हेतु शासनादेश संख्या—266 / 79—5—2016—29 / 2009टी.सी., दिनांक 24.02.2016 के प्रस्तर—2(1)(6ख) में संशोधन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2— जनहित याचिका संख्या—3334 / 2015 अजय कुमार पटेल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.03.2016 का प्रभावी अंश निम्नवत् है :—

"The State Government shall ensure that the provision is implemented in letter and spirit in the State of Uttar Pradesh from the coming academic session. The State shall do so in accordance with the basic interpretative principles that must govern the implementation of Section 12 (1) (c) in the State as enunciated in this judgment. The State shall now revisit its earlier formulations so as to bring them in conformity with the mandate of Section 12 (1) (c) as interpreted in the

present judgment of this Court no later than within a period of two months from the date of receipt of a certified copy of this order."

3– मा0 उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के समादर में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–12(1)(ग) के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा–एक/पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–266/79–5–2016–29/2009टी.सी., दिनांक 24.02.2016 का प्रस्तर–2(1)(6ख) निम्नवत् संशोधित किया जाता हैः–

पूर्व प्रस्तर	संशोधित प्रस्तर
6–ख "राज्य सरकार द्वारा संचालित राजकीय/परिषदीय विद्यालयों द्वारा अधिनियम–2009 की अनुसूची में वर्णित मानक प्रति अध्यापक 30 छात्र के आधार पर विद्यालय की क्षमता का निर्धारण किया जायेगा और न्यूनतम उस सीमा तक छात्र–छात्राओं का प्रवेश लिया जायेगा ताकि राजकीय संसाधनों का अभीष्टतम उपयोग किया जा सके। यदि विद्यालय में छात्र नामांकन उक्त सीमा तक पहुँच गया है तो "अलाभित समूह" तथा "दुर्बल वर्ग" के बच्चों को आसपास (Neighbourhood) के असहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा–1/पूर्व प्राथमिक कक्षा की 25 प्रतिशत स्थान/सीटों की सीमा तक प्रवेश दिलाया जायेगा जो कक्षा–8 तक की शिक्षा हेतु मान्य होगा। अग्रेतर यह भी कि यदि आसपास के क्षेत्र में एक से अधिक असहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित हैं तो "अलाभित समूह" तथा "दुर्बल वर्ग" के बच्चों को किसी विद्यालय विशेष में प्रवेश लेने हेतु विवश नहीं किया जायेगा। उक्त प्रवेश संबंधी कार्यवाही पारदर्शिता के साथ संपादित कराने का दायित्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का होगा। बच्चे के माता–पिता/अभिभावक द्वारा प्रार्थना पत्र	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा "अलाभित समूह" तथा "दुर्बल वर्ग" के बच्चों के निवास स्थल के आस–पास के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा–01/पूर्व प्राथमिक कक्षा की 25 प्रतिशत स्थान की सीमा तक प्रवेश दिलाया जायेगा, जो कक्षा 08 तक की शिक्षा हेतु मान्य होगा। अग्रेतर यह भी कि यदि बच्चों के निवास स्थल के आस–पास के क्षेत्र में एक से अधिक मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित हैं, तो बच्चे के पास यह विकल्प उपलब्ध होगा कि वह अपने आस–पास के किस विद्यालय में प्रवेश प्राप्त करना चाहता है। "अलाभित समूह" तथा "दुर्बल वर्ग" के बच्चों को किसी विद्यालय विशेष में प्रवेश लेने हेतु विवश नहीं किया जायेगा। उक्त प्रवेश संबंधी कार्यवाही पारदर्शिता के साथ संपादित कराने का दायित्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का होगा। बच्चे के माता–पिता/अभिभावक द्वारा प्रार्थना पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कार्यालय में 1 अप्रैल से प्रारम्भ होने वाले प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के लिए सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व ही 28 फरवरी तक उपलब्ध कराया जायेगा। प्राप्त प्रार्थना पत्रों को संकलित कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदनों में अंकित प्राथमिकताओं को दृष्टिगत रखते हुए अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों यथा

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कार्यालय में 28 फरवरी तक उपलब्ध कराया जायेगा। प्राप्त प्रार्थना पत्रों को संकलित कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदनों में अंकित प्राथमिकताओं को यथासंभव दृष्टिगत रखते हुए अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा–1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश कराने हेतु स्वतः स्पष्ट प्रस्ताव 07 मार्च तक जिलाधिकारी के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा अधिकतम 05 दिवस में प्रकरण पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा। माता–पिता/अभिभावक तथा सम्बन्धित विद्यालय को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सूचित भी किया जायेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उपयुक्त पारदर्शी रीति से अधिसूचना संख्या–3087/79–5–2012 –29/09, दिनांक 30 नवम्बर, 2012 के अनुसार समस्त कार्यवाही 21 मार्च तक पूर्ण करायी जायेगी। 01 अप्रैल से नवीन शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के पूर्व निजी विद्यालयों में उक्त बच्चों का दाखिला पूर्ण कराने का दायित्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का होगा।	सम्भव उनक विकल्प के गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा–1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश कराने हेतु स्वतः स्पष्ट प्रस्ताव 07 मार्च तक जिलाधिकारी के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा अधिकतम 05 दिवस में प्रकरण पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा। बच्चों के माता–पिता/अभिभावक तथा सम्बन्धित विद्यालय को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी द्वारा लिये गये निर्णय से सूचित भी किया जायेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उपयुक्त पारदर्शी रीति से अधिसूचना संख्या–3087/79–5–2012–29/09, दिनांक 30 नवम्बर, 2012 के अनुसार समस्त कार्यवाही 21 मार्च तक पूर्ण करायी जायेगी। 01 अप्रैल से नवीन शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के पूर्व निजी विद्यालयों में उक्त बच्चों का दाखिला पूर्ण कराने का दायित्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का होगा।

4– निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–12(1)(ग) के अन्तर्गत "अलाभित समूह" और "दुर्बल वर्ग" के बच्चों को कक्षा–1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश दिये जाने विषयक शासनादेश संख्या–582/79–5–2016–29/2009टी.सी.–II, दिनांक 03.03.2016 के प्रस्तर–7 भी उपरोक्तानुसार संशोधित माना जायेगा तथा उक्त शासनादेश की पूर्व शर्तें यथावत रहेंगी।

5– बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली के नियम–5 (1) का भी अनुपालन/पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।

6— शासनादेश संख्या—3087(1)/79—5—2012—29/2009टी.सी.—II, दिनांक 03.12.2012, शासनादेश संख्या—538/79—6—2013, दिनांक 20.06.2013, शासनादेश संख्या—266/79—5—2016—29/2009टी.सी., दिनांक 24.02.2016 एवं शासनादेश संख्या—582/79—5— 2016—29/2009टी.सी.—II, दिनांक 03.03.2016 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

11/05/16

(अजय कुमार सिंह)
सचिव।

संख्या एंव दिनांक तदैव,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
2— समस्त संयुक्त शिक्षा निदेशक/जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
3— समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
4— वित्त नियंत्रक, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद ।
5— वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय समस्त जनपद, उ0प्र0।
6— वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक समस्त जनपद, उ0प्र0।
7— शिक्षा अनुभाग—6, उ0प्र0 शासन।
8— गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद सिंह)
अनु सचिव।